भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2669

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

2669. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान देश में कोयला खानों में होने वाली दुर्घटनाएं गैर-कोयला खानों में होनी वाली दुर्घटनाओं की तुलना में अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कोयला खान-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए नवीनतम सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या पर्यावरण-हितैषी सतही खानों का उपयोग विस्फोट मुक्त खनन के लिए किया जा रहा है औ यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विगत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राजस्थान के बाड़मेर जिले में कोयले का कितना उत्पादन दर्ज किया गया है;

(च) क्या सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रम इसके लिए वहां निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य कर रहे हैं;

(छ) इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस पर क्या कार्रवाई की गई है और इनमें से कितने मामले निपटाए गए हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : देश में कोयला खानों में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या गैर-कोयला खानों में होने वाली दुर्घटनाओं की तुलना में अधिक है। पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2019 से 2023 तक राज्य-वार कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं से संबंधित विवरण इस प्रकार है:

राज्य	घातक दुर्घटनाएँ					गंभीर दुर्घटनाएँ				
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2021	2019	2020
छत्तीसगढ़	7	12	5	4	2	10	5	10	19	12
गुजरात	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
झारखंड	11	8	7	7	11	7	11	15	16	16
मध्य प्रदेश	3	4	7	6	4	8	5	15	18	7
महाराष्ट्र	3	4	4	0	3	12	4	5	9	2
ओडिशा	7	5	2	0	6	2	2	3	4	1
राजस्थान	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
तेलंगाना	8	9	7	5	6	143	79	126	102	67
तमिलनाडु	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0
उत्तर प्रदेश	2	0	1	0	0	0	2	1	1	6
पश्चिम बंगाल	8	6	10	2	5	11	8	10	9	4
कुल	**51**	**48**	**43**	**24**	**38**	**193**	**117**	**186**	**181**	**117**

कोयला खनन उद्योग खनन प्रक्रिया में मौजूद खतरनाक परिस्थितियों के कारण कामगारों के लिए विशिष्ट जोखिमों से जुड़ा हुआ है।

(ग): सभी कोयला खानें खान अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा अभिशासित होती हैं। खान अधिनियम, 1952 को डीजीएमएस द्वारा उपयुक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानक और दिशानिर्देशों के निरूपण, निरीक्षण, दुर्घटनाओं की जांच, जागरूकता गतिविधियों, जोखिम प्रबंधन योजनाओं का निरूपण करने के माध्यम से अभिशासित किया जाता है।

खान अधिनियम, 1952, खान नियम-1955, कोयला खान विनियम-2017 और उसके तहत बनाए गए उपनियमों और स्थायी आदेश के तहत किए गए सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के अलावा, खानों में ऐसी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. साइट विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं (एसएमपी) का निरूपण और कार्यान्वयन, प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजनाएं (पीएचएमपी), साइट-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का निरूपण और अनुपालन।

2. खान सुरक्षा पर प्रशिक्षण: क़ानून के अनुसार प्रारंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण, फ्रंट लाइन खान अधिकारियों का कौशल उन्नयन, सुरक्षा समितियों के सदस्यों और ठेका कामगारों सहित सभी कर्मचारियों को नियमित आधार पर जागरूक करना तथा एसआईएमटीएआरएस अधिकृत अधिकारियों द्वारा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण।

3. कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों- 2023 के अनुसार बहु-विषयक सुरक्षा लेखा परीक्षा टीम के माध्यम से खानों की सुरक्षा लेखा परीक्षा करना।

4. स्ट्रेटा प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक कार्यतंत्र को अपनाना तथा खान पर्यावरण की निगरानी।

5. ओसी खानों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय जैसे कि :

   - विस्फोट मुक्त सुरक्षित खनन के लिए पर्यावरण-अनुकूल सतही खनिकों का उपयोग।
   - खान-विशिष्ट ट्रैफिक नियमों का निरूपण और कार्यान्वयन।
   - एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण।
   - निकटता चेतावनी उपकरण, रियर व्यू मिरर और कैमरा, ऑडियो-विज़ुअल अलार्म (एवीए), ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम आदि से लेस डंपर।
   - ओसी खान के अंदर एचईएमएम की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए कुछ बड़े ओसीपी में जीपीएस आधारित ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस) और जियो-फेंसिंग।
   - रोशनी के स्तर को बढ़ाने के लिए हाई मास्ट टावरों का उपयोग करके प्रकाश की व्यवस्था।

6. भूमिगत कोयला खानों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपाय, जैसे कि :

   - अर्ध मशीनीकरण प्रौद्योगिकी की शुरूआत करके बास्केट लोडिंग को समाप्त करना।
   - न्यूमेटिक/हाइड्रोलिक रूफ बोल्टिंग सिस्टम द्वारा बोल्टिंग के साथ प्रभावी रूफ कंट्रोल सिस्टम के लिए रेसिन कैप्सूल से सीमेंट कैप्सूल का प्रतिस्थापन करना।

- जहां भी भूविज्ञान अनुमति देता है, सतत खनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया जाता है।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी योजनाएं (ईआर और ईपी) कोयला खान विनियमन 2017 के अनुसार तैयार की गई।

(घ) : उपकरण और पद्धति के नियोजन का चयन वैज्ञानिक अध्ययन तथा तकनीकी मापदंडों के आधार पर अलग-अलग खनन कंपनी द्वारा शासित होता है। खानों में ब्लास्टिंग की संभावना को कम करने के लिए कोयला खानों में सतही खनिकों को भी नियोजित किया गया है।

(ङ) : राजस्थान के बाड़मेर जिले में पिछले पांच वर्षों में कोयले का कोई उत्पादन नहीं हुआ है।

(च) से (ज) : सार्वजनिक और निजी क्षेत्र उपक्रमों के अंतर्गत कोयला खानों का विनियमन और प्रचालन खान अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों सहित लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है। कोयला खानें लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक और विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रचालित की जाती हैं तथा कार्यान्वित की जा रही हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित लिग्नाइट खानों के संबंध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

****